

# दिनांक 15.01.2015 को आफिस काम्पलेक्स केशवपुरम कल्यानपुर कानपुर में परिषद दिवस में प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रगति आख्या सम्बन्धी प्रारूप का विवरण

निस्तारण से सम्बन्धी कार्यालय का नाम— कानपुर जोन, कानपुर

प्रगति दिनांक—01-10-2015

क्रम संख्या	आवेदक का नाम, पता एवं मोबाइल संख्या	शिकायत का विषय	यदि पुनः आवेदन हो तो पूर्व आवेदन का क्रमांक एवं तिथि	निस्तारण हेतु दिया गया समय	कार्य से सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी का अभिमत एवं प्रगति की स्थिति	टिप्पणी (प्रकरण निस्तारित)
1	श्री सुनील अग्रवाल पता 128/128 एच ब्लॉक किदवई नगर कानपुर मो0 9415130021	उ0 प्र0 कानपुर दि0 29.09.2012 को की गई नीलामी में भूखण्ड संख्या एम/काम-32 को कार्नर का भूखण्ड चिन्हित कर नीलामी कराई गई एवं विगत दो वर्ष बाद उसे सामान्य भूखण्ड की श्रेणी में होने के सम्बन्ध में		15 दिन	निर्माण खण्ड -20 यो0 सं0-1 कानपुर, आवंटी को व्यापिक भूखण्ड का कब्जा सामान्य भूखण्ड के रूप में हस्तगत किया।	प्रकरण निस्तारित
2	श्री दीप चन्द्र पान्डेय पता पी-196 आवास विकास यो0 सं0-1 कानपुर मो0 9696356348	यो0सं0-1 केशवपुरम् पी सेक्टर में प्लॉट नं0 पी/195 में निर्मित आवासीय मकान से देशी शराब ठेका तत्कालीन हटवाने के सम्बन्ध में		01 माह	खण्ड के पत्रांक 146/एम-18/04 दिनांक 19.01.15 द्वारा जिलाधिकारी(म0) को पी0-195 से देशी शराब का ठेका हटाने के लिए पत्र प्रेषित किया गया। जिसके क्रम में जिलाधिकारी(म0) व पुलिस प्रशासन की सहायता से देशी शराब का ठेका हटा दिया गया है। जिसकी सूचना खण्ड के पत्रांक 1440/एम-18/55 दिनांक 02.06.15 के द्वारा प्रार्थी को दी जा चुकी है।	प्रकरण निस्तारित
3	श्री रवी गौड़ पता पी-194 आवास विकास यो0सं0-1 कल्यानपुर कानपुर मो0 9696356348	यो0सं0-1 केशवपुरम् पी सेक्टर प्लॉट नं0 पी-199,195,198,194,211 एवं समस्त पी सेक्टर में सीवर लाइन रोड लाइन व विद्युत लाइन की समस्या		15 दिन	योजना में परिवर्तक से लाइन न जुड़े होने के कारण इस क्षेत्र की मार्गीय प्रकाश व्यवस्था कार्यशील नहीं थी। जिसके सम्बन्ध में केस्को कल्यानपुर को इस खण्ड के पत्रांक 48/पी0आर0-5 दिनांक 19.01.15 द्वारा पत्र लिखा गया। वर्तमान में लाइन पड़ी है। अवस्थापना निधि के अन्तर्गत रू0 42.00 लाख की स्वीकृति दिनांक 31.07.15 को आवास आयुक्त(म0) कानपुर मण्डल द्वारा प्रदान कर दी गयी है जिसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति की कार्यवाही हो रही है। यह कार्य दो माह में पूर्ण हो सकेगा जिसकी सूचना आवेदक को दे दी गयी है।	प्रकरण निस्तारित